Dr. Vinod Baitha
Deptt of Economics
Marwari college Darbhanga

Economics

Agriculture Economics Group B D.III Hons
Lecture-21

Agricultural Finance, Sources and Importance.

कृषि वित्त, श्रोत और महत्व

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है देश की आय का लगभग 25 प्रतिशत केवल कृषि से प्राप्त होता है तथा हमारी श्रम शक्ति का लगभग 58% इसपर निर्भर है। लेकिन कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता तथा पिछड़ेपन से ग्रसित है। इसमें किसानों की गरीबी तथा उनकी साधन हीनता का हाथ है साधन के अभाव में अधिकांश किसान खेती के आधुनिक तरीके, यंत्र तथा आदानों का प्रयोग नहीं कर सकते। इस संदर्भ में कृषि सारव (वित्त) का विशेष महत्व हो जाता है। सारव एक ऐसा चायक है जो अन्य साधनों के प्रयोग को संभव बनाता है।

कृषि वित्त से अर्थ उस सारव से है जिसकी आवश्यकता कृषि कार्य करने से है यह आवश्यकता, बीज, खाद, यंत्र खरीदने या भाल गुजारी देने या करने से है यह आवश्यकता, बीज, खाद, यंत्र खरीदने या भाल गुजारी देने या करने से है यह आवश्यकता कृषि संबंधी कार्य करने के लिए हो सकती है। कृषि वित्त की वृत्ति साहुकार सहकारी सारव संस्थाएँ, भूमि विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, भूमिबंधक बैंक, सरकार तथा अन्य वित्तिय निगमों द्वारा की जाती है।

भारत जैसे देश के आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। तथा कृषि विकास के लिए सारव अनिवार्य तत्व है। एक फ्रांसीसी लोकोक्ति में कहा गया है। "सारव किसान की उसी प्रकार सहायता करती है जिस प्रकार फाँसी पड़ने वाले व्यक्ति के लिए जल्लाद की रस्सी" Credit supports The Farmer as The Hangmans Rope supports The Hanged" भारतीय युक्ति में भी सारव एवं महाजन के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। "एक भारतीय किसान के लिए केवल वह गाँव में रहने योग्य होता है जिसमें एक महाजन हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर धन उधार लिया जा सके, एक वैद्य हो जिसे इलाज करा सके, एक ब्राह्मण पुजारी हो जो आत्मा की शान्ति के लिए अनुष्ठान करा सके, तथा एक ऐसा जल श्रोत हो जो ग्रीष्मऋतु में भी ना सूखे। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसान के लिए महाजन का महत्व काफी है। भारतीय किसानों को हमेशा सारव की अपर्याप्तता एवं अनुपभुक्तता की समस्या रही है। कहा जाता है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है भारतीय किसानों को कृषि के विकास के लिए हमेशा सारव की आवश्यकता पड़ी है भारत में कृषि की वित्तिय आवश्यकताओं या ऋणि सारव की आवश्यकताओं को तीन भागों में बाँटा जा सकता है जो निम्नलिखित है।

बीज, उर्वरक, चारा, मशीनों की मजदूरी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अल्पकालीन सारव या ऋण की आवश्यकता होती है। इसकी अवधि सामान्यतया 6 माह से 15 महीने तक की होती है सामान्यतया एक फसल के बाद अगली फसल में इनका भुगतान कर दिया जाता है। अल्पकालीन सारव वर्तमान उत्पादन एवं उपभोग की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए आवश्यक होता है।

2. मध्यकालीन सारव — इस प्रकार के सारव या कर्ज 15 महिने से लेकर 5 वर्षों की अवधि के लिए किसानों द्वारा ली जाती है इस प्रकार के ऋण को कृषकों द्वारा अपनी भूमि सुधारने, पशु खरीदने, कृषि उपकरण खरीदने के लिए मध्यवर्ती मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। अल्पावधि ऋणों की तुलना में ये ऋण अधिक होते हैं। और उन्हें अपेक्षा कृत अधिक समय बाद ही चुकाया जाता है।

3. दीर्घकालीन ऋण। — इस प्रकार की सारव या ऋण भूमि की स्थायी सुधार करने बड़े कृषि यंत्र की खरीदने इत्यादि के लिए लिया जाता है इसकी अवधि 5 वर्षों 20 वर्षों या कभी-कभी उससे भी लम्बी अवधि के लिए होती है। जमीन खरीदने, तालाब बनवाने, ट्रैक्टर इत्यादि महंगे कृषि यंत्र इत्यादि खरीदने के उद्देश्य से इस तरह के सारव की आवश्यकता होती है।

भारत में कृषि के लिए वित प्रदान करने के अनेक साधन हैं पहले महाजन प्रमुख साधनों में से एक थे। लेकिन अब उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब कृषि वित्त के अनेक स्रोत हैं इन सभी स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है।

1. गैर संस्थागत साधन — इसके अन्तर्गत महाजन, पेशेवर, कृषक रिश्तेदार जमींदार, आढ़तिया, देशी बैंकर इत्यादि आते हैं।

2. संस्थागत साधन — इसके अन्तर्गत, सहकारी संस्थाएँ, प्राथमिक सहकारी समितियाँ, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड, सरकार इत्यादि आते हैं।

1. गैर संस्थागत साधन —

A. साहुकार, महाजन - साहुकार या महाजन का भारत के ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारतीय किसानों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सारव स्रोत महाजन ही थे। महाजन को दो भागों में बाँट सकते हैं। ① कृषक महाजन ② पेशेवर महाजन, कुछ किसान कृषि कार्य के साथ-साथ महाजनी का भी काम करते हैं। इन्हें कृषक महाजन कहा जाता है। सामान्यतया ये बड़े एवं धनी किसान हुआ करते हैं। लेकिन पेशेवर महाजन का काम उधार देना या ऋण देना होता है

B. व्यापारी या कमीशन एजेंट — व्यापारी या कमीशन एजेन्ट किसानों को फसल पकने से पूर्व उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। वे किसानों को मजबुर करते हैं कि वे अपने फसल को कम कीमत पर बेचे,

आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

C. सम्बन्धी —— किसान अपने संबंधियों से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते है। ताकि वे अस्थायी कठिनाईयों को दूर कर सके। ये ऋण सामान्यतः अनौपचारिक रूप में दिए जाते हैं। इनपर ब्याज नहीं लिया जाता है ब्याज की दर बहुत नीची होती है। और फसल कटने के बाद ऋण लौटा दिया जाता है। परन्तु वित्त का यह स्रोत अनिश्चित है। और आधुनिक कृषि की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण किसान इस स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकता है।

D. भूस्वामी एवं अन्य स्रोत —— किसान विशेषकर छोटे किसान एवं काश्तकार भूस्वामी एवं अन्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं वित्त के इस स्रोत में वे सभी स्रोत विद्यमान हैं। जो महाजनों, व्यापारियों या कमीशन एजेंटों द्वारा उपलब्ध कराये गए वित्त में पाए जाते हैं। प्रायः इस वित्त से छोटे किसानों से उनकी भूमि चालाकी से हर ली जाती है भूमिहीन व्यक्तियों को बंधुआ श्रमिक बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि वित्त का यह स्रोत अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है।

2. संस्थानात्मक स्रोत — संस्थानात्मक ऋणों में ऐसी राशियाँ शामिल की जाती है जो सहकारी समितियों, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सरकारे, राज्य सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त तक्कावी ऋण भी उपलब्ध कराती है, सहकारिता के क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋण उपलब्ध कराती है, सहकारिता के क्षेत्र में प्राथमिक कृषि उधार समितियाँ अल्पकालीन एवं मध्य कालीन ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋणों का प्रबंध करते हैं जिसमे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक NABARD राष्ट्रीय स्तर पर कृषिउधार के लिए शिखर संस्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केन्द्रिय बैंक के रूप में ग्राम उधार के लिए व्यापक निर्देश और राष्ट्रीय बैंकों को उसके कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

A. सहकारी ऋण समितियाँ —— सहकारी वित्त प्रबंध ग्रामीण ऋण का सबसे सस्ता और बढ़िया स्रोत है। इसमें किसानों को शोसण का भय नहीं रहता है। ब्याज की दर भी बहुत ही कम रहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से सहायता प्राप्त होने के कारण 88,000 हजार प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों द्वारा 5080 करोड़ रुपये के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराए गए।

B. केन्द्रिय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक — भारत में यह बैंक दो प्रकार की होती है एक तो वे जिनकी सदस्यता केवल सहकारी प्राथमिक समितियों को मिल सकती हो और दुसरी वे जिनके सदस्य अन्य व्यक्ति तथा सहकारी प्राथमिक समितियाँ दोनों हो सकते हो यह बैंक शहरी क्षेत्र में होते है।

C. प्राथमिक सहकारी समितियाँ —— गाँव का कोई भी दस सदस्य व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी समिति की स्थापना कर सकते है। इनका कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। और इनकी कार्यशील पूँजी, सदस्यों की सदस्यता

वर्तमान में इनकी संख्या । लाख है तथा इसके अन्तर्गत 17 प्रतिशत गाँव आते हैं।

1. राज्य सहकारी बैंक —— यह बैंक अपने-अपने राज्य के मुख्यालय में होती है। इसकी अंश पूंजी केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकार व जनता द्वारा मिलकर दी जाती है। इनका मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक को ऋण सुविधाएँ प्राप्त करना है। इस प्रकार इस समय 28 बैंक है।

2. भूमिबंधक बैंक या भूमि विकास बैंक —— भारत में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने के लिए इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की गयी है। यह बैंक कृषिकार्य हेतु कृषक की भूमि गिरवी रखकर ऋण सुविधाएँ प्रदान करती है। यह ऋण लम्बी अवधि के लिए होता है। इस ऋण से कृषक कुँए खोदवाने, ट्रेक्टर खरीदने आदि का काम करते हैं।

3. व्यापारिक बैंक — व्यापारिक बैंक अब कृषकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले 14 बैंक कृषि वित्त प्रदान करने लगे हैं। वर्तमान में सभी व्यवसायिक, या व्यापारिक बैंक किसानों को वित्त की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

4. भारतीय स्टेट बैंक —— भारतीय स्टेट बैंक भी सीधे तथा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को वित्तिय सहायता ऋण के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक शाखाएँ खोली है इसमें किसानों को नलकूप लगाने ट्रैक्टर खरीदने आदि कार्यों के लिए वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक — भारतीय साख की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सितम्बर 1975 को एक आदेश जारी किया गया जिसके अन्तर्गत 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जानी थी। जिसके अनुसार बिहार सहित सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोली गयी है और इन्ही शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाया जाता है।

6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक —— राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गयी। यह ग्रामीण एवं कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यह कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम बैंक है। यह बैंक सभी एजेंसियों के कार्यों में समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करती है। रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख स्थायीकरण कोष भी इस बैंक को स्थानांतरित कर दिया है। अब यही बैंक कृषि के संबंध में सभी प्रकार के साख की व्यवस्था करती है।

7. किसान क्रेडिट कार्ड योजना — यह योजना 1998-99 में आरंभ की गयी। किसान क्रेडिट योजना किसानों के अल्पावधी ऋण प्राप्त करने को सुगम बनाने की एक अभिनव योजना है। इस कार्यक्रम ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। तथा सम्पूर्ण देश में 27 वाणिज्य बैंक 378 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक तथा 196 ग्रामीण बैंक में इसको कार्यान्वित किया जा रहा है।